

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून 248195

सं०: स्था०नि०/प्रतिवेदन संख्या- 63 /2017-18/

दिनांक : /10/2017

सेवा में,

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी,

ग्राम- विठौरिया-न.-01

विकास खण्ड-हलद्वानी

जिला- नैनीताल

विषय : ग्राम पंचायत विठौरिया-न.-01, का वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 2 (अ) में शून्य प्रस्तर, भाग-2 (ब)-2 में 03 प्रस्तर तथा STAN के शून्य प्रस्तर हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी (निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड) के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में पेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं० स्था०नि०/प्रतिवेदन संख्या-63/2017-18/

दिनांक: /10/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित :

- 1- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, डांडा लाखोंड, आई०टी०पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून
- 2- निदेशक, लेखापरीक्षा (ऑडिट) निदेशालय उत्तराखण्ड, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोड: 248005
- 3- जिला पंचायतराज अधिकारी नैनीताल
- 4- खण्ड विकास अधिकारी हलद्वानी

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

ग्राम पंचायत **विठौरिया-न.-01**, (क्षेत्र पंचायत- **हलद्वानी**, जनपद- **नैनीताल** के लेखे पर निरीक्षण प्रतिवेदन। यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखाकार (क.श.एवं.से.श.) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अन्तर्गत सम्पन्न की गयी है।

भाग-1

ग्राम पंचायत, **विठौरिया-न.-01** (क्षेत्र पंचायत- **हलद्वानी** जनपद - **नैनीताल** के वर्ष 2015-16 से वर्ष 2016-17 तक के लेखों की लेखापरीक्षा, श्री मनोहरसिंह, ले.प.श्री प्यारेलाल शर्मा, स.ले.प.अ.श्री हिमाशु शर्मा, स.ले.प.अ. तथा पर्यवेक्षण श्री अशोक कुमार सिन्हा व.ले.प.अ. द्वारा दिनांक 23-09-2017 से 10-10-2017 तक संपादित की गयी।

1-

2. परिचय

(अ) इस ग्राम पंचायत का प्रथम लेखापरीक्षा है

(ब) ग्राम पंचायत का परिचय अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

3. प्रशासन

उल्लिखित अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधान और उप प्रधान थे-

I प्रधान

नाम

अवधि

(अ) श्री सुरेश सिंह गौड़

जुलाई 2014 से अब तक

II उप-प्रधान

नाम

अवधि

(अ) श्री दयाराम पाण्डे

09/2014 से अब तक

भाग-2

अनुभाग 'अ'

1 (अ) पिछले प्रतिवेदनों के बकाया आपत्तियों के प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है।

-प्रथम निरीक्षण-

(ब) सतत् अनियमितताएं:-

-शून्य-

2. अनुदान

अनुदानों की विनियोग पंजी नहीं रखी जा रही है, एवं अनुदानों की विनियोग पंजी न रखने से होने वाले प्रभाव निम्नवत् है।

1- अनुदान पंजिका नहीं बनाए जाने के कारण अनुदान प्राप्ति, उपभोग एवं अवशेष की जांच नहीं की जा सकी।

भाग-2
अनुभाग 'ब'

1. लेन-देनों का परिमाण

सम्प्रेक्षणाधीन वर्ष के दौरान लेन-देनों का परिमाण निम्नलिखित विवरणानुसार था।

	धनराशि (` में)
01.04.2016 को प्रारम्भिक शेष	` 2408936.57
जोड़े-वर्ष के दौरान प्राप्तियां	` 5645751.00
कुल प्राप्तियां	` 8054687.00
घटायें:- वर्ष के दौरान व्यय	` 7511223.00
31.03.2017 को अंतिम शेष	` 543464.57

2. रोकड़ शेष:

(i) ग्राम पंचायत की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2017 को शेष का कोषालय/बैंक पास बुक/विवरण के शेष से मिलान किया गया है।

-----शून्य-----

3. समाधान विवरण

	(धनराशि ` में)
रोकड़ बही के अनुसार शेष	: ` 543464.57
जोड़े	:
(i)	: 0.00
घटायें	:
(i)	: 0.00
बैंक पासबुकों/विवरण के अनुसार शेष	: ` 543464.57 .

(ii) रोकड़ बही में अनियमितताएं

4. आय व्ययक

(अ) ग्राम पंचायत ने वर्ष के लिए न तो कोई आय व्ययक अनुमान तैयार/अनुमोदित किया न ही उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम 41 के अधीन कोई कार्यवाही की। परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई राशि 7511223.00 उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 41 के अनुसार अनाधिकृत है।

5. अग्रिम:

अग्रिम पंजिका नहीं बनायी गयी थी। अतएव निरीक्षण में अग्रिमों के संबंध में कोई निरीक्षण टिप्पणी नहीं की जा सकी।

6. नहीं बनाये गये अति महत्वपूर्ण अभिलेख:

(1) ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित लेखा पंजिकायें/अभिलेख नहीं खोली/रखी गयी थी या इनका ठीक से रख-रखाव नहीं किया गया था:-

लेखा पंजिकाओं/अभिलेखों का नाम

- 1- कार्य पंजिका
- 2- अग्रिम पंजिका
- 3- स्टॉक पंजिका
- 4- बिल पंजिका

भाग-एक

(क) परिचयात्मक:- कार्यालय ग्राम पंचायत **विठौरिया-न.-01**, (, (क्षेत्र पंचायत **हलद्वानी**,जनपद **नैनीताल** के लेखाअभिलेखों/ की वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 तक की लेखापरीक्षा श्री मनोहरसिंह,ले.प.श्री प्यारेलाल शर्मा,स.ले.प.अ.श्री हिमाशु शर्मा, स.ले.प.अ.तथा पर्यवेक्षण श्री अशोक कुमार सिन्हा व.ले.प.अ. द्वारा दिनांक 23-09-2017 से 10-10-2017 तक संपादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थिति:-

इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं० प्रस्तर भाग-4 (अ) प्रस्तर भाग-4 (ब)

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर -

इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है

प्रतिवेदन संख्या वर्ष

भाग
प्रस्तरों की संख्या

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर-

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची:

भाग-2(अ) का 1(ब) के अनुसार

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख:

भाग-2(ब)का 6(i) के अनुसार

भाग2 (ब)

प्रस्तर-01- भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं हेतु निर्धारित नवीन बजट तथा लेखा प्रारूपों पर लेखा तैयार नहीं किया जाना।

भारत के 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन के दिशा में सशक्त बनाने हेतु भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं हेतु नवीन एवं सरलीकृत बजट तथा लेखा प्रारूपों को अपनाने हेतु निर्धारित किया गया था। जिसके तारतम्य में उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपने शासनादेश संख्या 619/XII /2005/82(06) 2004 दिनांक 26-7-2005 के द्वारा इन प्रारूपों को औपचारिक रूप से दिनांक 01-04-2005 से लागू किया गया था ।

ग्राम **विठौरिया-न.-01**, के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि इकाई के अभिलेखों में लेखांकन भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूपों पर तैयार नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त के विषय पर पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि वर्तमान में पंचायत राज अधिनियम के द्वारा निर्धारित प्रारूपों में लेखांकन का कार्य किया जा रहा है, किन्तु नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूपों में कार्य प्रशिक्षण के अभाव में अभिलेखों का लेखांकन किये जाने में कठिनाई हो रही है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि शासनादेश दिनांक 01-04-2005,को लागू किये जाने के पश्चात भी ग्राम पंचायत द्वारा अद्यतन तिथि अंगीकार तक नहीं किया गया जिसके कारण अभिलेखों का रख रखाव अपूर्ण था।

अतः निर्धारित प्रारूपों को ग्राम पंचायत द्वारा लागू न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग2 (ब)

प्रस्तर 02- संविधान के 73वें संशोधन के ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषय में से मात्र 14 विषय का अपूर्ण हस्तान्तरण।

1992 में संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं जिनमें ग्राम पंचायत भी सम्मिलित है,को स्वायतता (self governance) प्रदान की गई है। तदनुसार संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों का हस्तान्तरण त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को किया जाना है। वर्तमान निरीक्षण तक राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को मात्र 14 विषय ही हस्तान्तरित किये गये हैं जो निम्नवत हैं।

1. पेयजल आपूर्ति
2. ग्रामीण आवास
3. गरीबी उन्मूलन
4. प्राथमिक शिक्षा
5. प्रौढ एवं अनौपचारिक शिक्षा
6. पुस्तकालय
7. सांस्कृतिक क्रियाकलाप
8. परिवार कल्याण
9. स्वास्थ्य तथा स्वच्छता कार्यक्रम
10. महिला एवं बाल विकास
11. समाज कल्याण
12. सार्वजनिक वितरण प्रणाली
13. लघु सिंचाई
14. कृषि तथा सम्बन्धित विभाग

उपरोक्त विषय उत्तराखण्ड शासन द्वारा वर्ष 2006 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किये गये थे।

परन्तु ग्राम **विठौरिया-न.-01**, की अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा मात्र 14 विषयों का शासनादेश निर्गत किया गया है। परन्तु इन 14 विषयों से सम्बन्धित कर्मचारी एवं अधिकारी ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित नहीं किये गये हैं। हस्तान्तरित नहीं किये जाने के कारण 73वें संविधान संशोधन का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

लेखा परीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि शासन स्तर पर शासनादेश जारी किया गया है, किन्तु ग्राम पंचायत को पूर्ण दायित्व वास्तविक रूप से हस्तान्तरित नहीं किये गये हैं।

अतः उत्तर सन्तोषजनक नहीं है, प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4 'ब' 2

प्रस्तर 3: वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक विभिन्न खातों से ब्याज के रूप में प्राप्त धनराशि ` 41126/- को राजकोष में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन पत्रांक संख्या 347/वि. आ. निदे. (तृ. रा. वि. आ.)0049/2013 दिनांक 17 जनवरी 2013 के अनुसार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कुल धनराशि एवम उस पर ब्याज के वर्षवार विवरण उपलब्ध कराते हुए ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना चाहिये।

ग्राम पंचायत, **विठौरिया-न.-01**के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया की इकाई को वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक विभिन्न बैंक खातों से ब्याज के रूप में ` **44226/-** की धनराशि प्राप्त हुई थी उक्त धनराशि में से इकाई ने ` **3100/-** व्यय कर दिया व्यय के उपरांत शेष धनराशि ` **41126/-** तक इकाई के खाते में लंबित पड़ी है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया की उक्त शासनादेश की जानकारी के अभाव में ब्याज की धनराशि इकाई के खाते में लंबित पड़ी है। यथाशीघ्र ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कर लेखापरीक्षा को अवगत किया जाएगा।

अतः ब्याज के रूप में प्राप्त धनराशि ` **41126/-** इकाई के खाते में लंबित पड़े रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग पाँच

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत , विठौरिया-न.-01, विकास खण्ड- हलद्वानी, जिला- नैनीताल को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरि. उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन,कौलागढ,देहरादून-पिन कोड-248195 को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि.लेखापरीक्षा अधिकारी /स्थानीय निकाय

